विधानसभा में उपयोगार्थ

राजस्थान सरकार

खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान
उदयपुर

वार्षिक प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2021–22

(दिसम्बर, 2021 तक)

उदयपुर

जनवरी, 2022

खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान

वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)

भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिमान् रखने के लिये खनिजों का बड़ा योगदान है। खनिजों की उपलब्धता के लिहाज से राजस्थान का देश के खनिज मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान हैं। राज्य में विभिन्न प्रकार के 82 खनिज पाये जाते है उनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है । इन खनिजों में लेड–जिंक, वोलेस्टोनाईट, केल्साइट, सेलेनाईट व जेस्पार का शत प्रतिशत, सिल्वर, जिप्सम, रॉक फास्फेट एवं रेड–ऑकर का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन राज्य में होता है। राज्य में राज्य में 70.05 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के 23 सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित है जिससे सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भी राज्य देश में अग्रणी है। संगमरमर एवं ग्रेनाईट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में ही उपलब्ध हैं तथा कोटा स्टोन एवं सेण्डस्टोन की भी अच्छी पहचान है। इन पत्थरों की देश में तथा विदेशों में काफी मांग है। इसी कड़ी में अब तेल एवं प्राकृतिक गैस भी जुड़ गये हैं, जिनकी उपलब्धता बाड़मेर जिले के मंगला, विजया, बायतु आदि क्षेत्रों में सिद्ध की गई हैं, जिससे राज्य ऑयल उत्पादित करने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पोटाश के भी भण्डार खोजे गये है। जिनके उत्पादन में प्रदेश प्रयासरत है। राज्य में खनिज दोहन हेतु वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) को प्रधान खनिजों के 174 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15280 खनन पट्टे एवं 17577 क्वारी लाईसेन्स प्रभावशील थे ।

प्रशासनिक व्यवस्था :

राज्य में खनिजों की खोज व उनके व्यवस्थित दोहन हेतु खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी । विभाग में खनिज खोज, खनिज प्रशासन व खनिज दोहन कार्यो को सुव्यवस्थित रूप से अंजाम देने हेतु दो प्रमुख इकाईयां – भूविज्ञान इकाई एवं खनन इकाई कार्यरत हैं । प्रदेश में खनिजों की खोज व उनके भण्डारों का आंकलन भूविज्ञान इकाई द्वारा किया जाता है तथा खनिजों के दोहन हेतु खनन पट्टों का आवंटन, खनिज राजस्व वसूली आदि का कार्य विभाग की खनन इकाई द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नानुसार है :

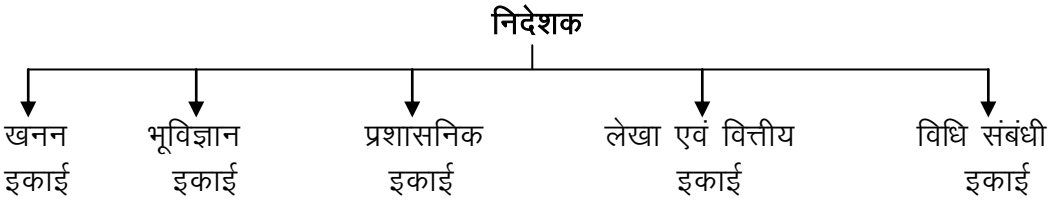

अ. खनन इकाई : प्रदेश में खनिज प्रशासन, राजस्व संकलन, पर्यावरण, अवैध खनन एवं अनाधिकृत खनिज परिवहन की रोकथाम आदि कार्यो हेतु निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय, अतिरिक्त निदेशक खान (पर्यावरण एवं विकास) एवं अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) उदयपुर के पद स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त चार अतिरिक्त निदेशक (खान) के पद – जयपुर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर जोनल कार्यालयों में स्वीकृत हैं जो अपीलों की सुनवाई का कार्य भी करते है । निदेशालय में चार अधीक्षण खनि अभियन्ता (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्तकता) के पद सृजित है, जो क्रमशः विधानसभा एवं प्लान, प्रधान, अप्रधान खनिज एवं सतर्कता अनुभागों का कार्य देखते है एवं एक अधीक्षण खनि अभियन्ता का पद तकनीकी सहायक (निदेशक) हेतु स्वीकृत हैं। नौ अधीक्षण खनि अभियन्ता के पद वृत कार्यालयों में स्वीकृत है जो 33 खनि अभियन्ता एवं 16 सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों का पर्यवेक्षण कर पूरे प्रदेश के खनिज प्रशासन के कार्यो को अंजाम देते हैं ।

निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक, खान (मुख्यालय) रियायतों का निस्तारण, खनिज नियमों की पालना सुनिश्चित करने, खनिज नीतियां तैयार करनें आदि का कार्य देखते हैं। अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास) को वन अनारक्षण, पर्यावरण, योजना एवं विकास, संसद, विधान सभा आदि के कार्य आवंटित हैं। राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु सतर्कता ईकाई के उपखण्ड, खण्ड व वृत के

क्रमशः 19, 12 एवं 7 कार्यालय अवस्थित है जिसका नियंत्रण अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) द्वारा किया जाता है।

हाईकोर्ट में खनन संबंधी मामलों को देखने हेतु खनि अभियन्ता (रिट) के एक–एक पद जयपुर एवं जोधपुर में स्वीकृत हैं ।

ब. भूविज्ञान इकाई : प्रदेश में खनिज भण्डारों की खोज एवं उनका आंकलन करने हेतु भू–विज्ञान शाखा कार्यरत है इस कार्य हेतु पांच अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान के पद – जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर जोनल कार्यालयों में सृजित हैं। पांच अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान के अधीन नौ अधीक्षण भूवैज्ञानिक के पद वृत कार्यालयों में स्थापित हैं। सभी अधीक्षण भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एवं इन कार्यालयों में पदस्थापित भूवैज्ञानिक पूरे प्रदेश में खनिज खोज का कार्य करते हैं। अधीक्षण भूवैज्ञानिक (एरियल सर्वे) का एक पद सचिवालय, जयपुर मे पदस्थापित है जो कि शासन एवं विभाग में समन्वय स्थापित करने में सहायक है। निदेशालय में भूविज्ञान संबंधी कार्य अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान–मु0) द्वारा संपादित किया जाता है। निदेशालय में दो अधीक्षण भूवैज्ञानिक, मुख्यालय एवं रिमोट सेंसिंग के अधीन 4 वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद स्वीकृत है जों कि भूविज्ञान, पेट्रोलोजी प्रयोगशाला, रिमोट सेसिंग एवं प्रकाशन अनुभाग का कार्य देखते है। खनिजों की खोज में भूवैज्ञानिकों को सहयोग करने हेतु निदेशालय स्तर पर अधीक्षण भूभौतिकवेत्ता के निर्देशन में भूभौतिक अनुभाग कार्यरत है। सिरेमिक एवं रसायनिक अभियन्ता के निर्देशन में सिरेमिक एवं रसायनिक प्रयोगशाला का संचालन किया जाता है। उक्त प्रयोगशालाओं में नवीनतम तकनीकों एवं उपकरणों से विभिन्न परियोजनाओं से एकत्र कर भेजे गये खनिजों/चट्टानों के नमूनों की विस्तृत जांच की जाती है ।

भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिज भण्ड़ारों की खोज हेतु भूगर्भ से नमूने प्राप्त करने के लिए विभाग में पृथक से छिद्रण शाखा भी कार्यरत है। छिद्रण कार्य की प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्विति हेतु प्रदेश को, उदयपुर जोन एवं बीकानेर जोन में बांटा गया है, जिनका कार्य क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण), उदयपुर व बीकानेर द्वारा देखा जाता है। छिद्रण कार्य में अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) को सहयोग करने हेतु उप छिद्रण अभियन्ता के एक–एक पद उदयपुर व बीकानेर में स्वीकृत हैं। उप छिद्रण अभियन्ता सहायक छिद्रण अभियन्ताओ के सहयोग से छिद्रण कार्य को गति देते है। सहायक छिद्रण अभियन्ताओं के आठ पद स्वीकृत है। विभाग के वाहनों एवं छिद्रण मशीनों की रख–रखाव करने हेतु एक कर्मशाला भी उदयपुर में स्थापित है, जिसका कार्य यांत्रिक अभियन्ता देखते हैं।

स. प्रशासनिक, लेखा एवं विधि कार्य : विभाग का प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा, लेखा एवं वित्तीय संबंधी कार्य वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा, विधि संबंधी कार्य उप विधि परामर्शी द्वारा निदेशालय में सम्पादित किया जाता हैं।

कार्य लक्ष्य एवं उपलब्धियां :

विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) में अर्जित की गई उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

अ. खनन इकाई

खनिज राजस्व – गत वर्ष (2020–21) विभाग के राजस्व का लक्ष्य रू. 7000 करोड़ रखा गया था, जिसके विरूद्ध रु. 4965.47 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में रू. 7100 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2021 तक रू. 4159.12 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है तथा पूर्ण प्रयास किये जा रहे है कि इस वर्ष राजस्व लक्ष्य अर्जित किया जा सके।

विगत वर्षो में विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार हैः

(राशि करोड रूपये में)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आय
2017–18	4900.00	4521.52
2018–19	6000.00	5301.48
2019–20	6600.00	4579.09
2020–21	7000.00	4965.47
2021–22 (31.12.2021 तक)	7100.00	4159.12

अवैध खनन एवं अनाधिकृत खनिज परिवहन की रोकथामः

अवैध खनन/निर्गमन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर समय–समय पर जॉच की गई है।

अवैध खनन/निर्गमन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बोर्डर होमगार्ड के 498 जवान लगाये गये है।

अवैध खनन/निर्गमन एवं भण्डारण पर सख्त कार्यवाही करने हेतु नियमों के अनुसार जो वाहन अवैध खनन एवं निर्गमन में लिप्त पाये जाते है उनसे रॉयल्टी राशि की दस गुना राशि/खनिज की कीमत शास्ती के रूप में एवं वाहन की श्रेणी के अनुसार 25 हजार से 1.00 लाख तक कंपाउण्ड फीस के रूप मे वसूल की जाती है। इसके अलावा खनिज बजरी के अवैध निर्गमन मे लिप्त वाहनो से एन.जी.टी. की पर्यावरर्णीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1 लाख अलग से वसूली जाती है। प्रकरण कंपाउण्ड नही कराने पर खनिज एवं वाहन जब्त कर एफ.आई.आर न्यायालय मे इस्तगासा किया जाता है।

अवैध खनन राजकीय भूमि, वन भूमि, खातेदारी भूमि, चारागाह भूमि अथवा नगर निगम, जेडीए, यू आई टी, रिको इत्यादि को आवंटित भूमियों में होता है। अतः राज्य सरकार द्वारा भूमि के स्वामित्व के आधार पर संबंधित विभाग को अवैध खनन के नियंत्रण हेतु जिम्मेदारी सौपी गई है। उदाहरण के तौर पर वन भूमि में वन विभाग, खातेदारी व चारागाह भूमि में राजस्व विभाग तथा राजकीय भूमि में खनिज विभाग को कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदारी सौपी गई है।

अवैध खनन की नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने खान एवं खनिज विकास विनियम, 1957 में प्रावधान किये है तथा अप्रधान खनिजों के मामलों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में प्रावधान किये गये है। अवैध खननकर्ताओं पर अंकुश लगे इसके लिए मुकदमों में सजा की अवधि 2 वर्ष से बढाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

अवैध खनन की रोकथाम हेतु नियमों के अन्तर्गत खनिज विभाग के अधिकारीयों/ कर्मचारियों के अलावा राजस्व विभाग में संबंधित जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को, वन विभाग मे उपवन संरक्षक से क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं एस.डी.आर.आई के रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी अधिकार दिये गये है ।

जहॉ अवैध खनन कार्य पाया गया वहॉ पर प्राथमिकता से प्लॉट बनाकर ई–निलामी के माध्यम से खनन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जा रही है जिससे भी अवैध खनन पर नियंत्रण लगेगा ।

खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु खनि अभियंता उदयपुर द्वारा ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर गोमती नदी के अवैध खनन क्षेत्र मे विभागीय तथा पुलिस दल द्वारा ड्रोन के साथ पेट्रोलिंग की गई। सहायक खनि अभियंता गोटन के क्षेत्राधिकार मे 43 एवं खनि अभियंता नागौर के क्षेत्राधिकार मे 16 खातेदारी खनन पट्टो की जांच ड्रोन सर्वे के द्वारा करवाई गई एवं मौका सत्यापन कार्यवाही कर शास्ती आरोपित की गई।

भारत सरकार के आई.बी.एम विभाग से Mining Surveillance System (MSS) के माध्यम से सेटेलाइट इमेजनरी तकनीक से प्रधान एवं अप्रधान खनन पट्टो के 500 मीटर की परिधि मे अवैध खनन के ट्रिगर पॉइंट भिजवाए जाते है जिन पर संबंधित अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर मोबाइल एप से सीधे ही मौका स्थिति एवं की गई कार्यवाही का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। अब तक प्राप्त 75 ट्रिगर मे से 72 की जांच कर ली गई है जिसमे से 1 ट्रिगर मे अवैध खनन पाए जाने पर एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई। साथ ही ''गुगल प्रो'' एप पर जांच कर कार्यवाही करने हेतु विभाग के समस्त खनि.अभियंता/ सहायक खनि अभियंता को निदेशालय से निर्देश दिये गये है।

अवैध खनन/ निर्गमन /भण्डारण की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर, 2021 तक) की कार्यवाही का विवरण (समस्त खनिज)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22 (31 दिसम्बर 2021 तक)	योग
1.	अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के दर्ज प्रकरणों की संख्या	16856	13229	10142	6640	46867
2.	दर्ज कराई गई एफ.आई. आर. की संख्या	1854	930	760	598	4142
3.	जब्त वाहन/मशीन/औजारों की संख्या	17379	13355	10076	6723	47533
4.	अवैध खनन/निर्गमन से वसूल शास्ति राशि रूपये (करोड़ में)	105.02	85.42	79.57	52.05	322.06

खनिज रियायतें :

प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के खनन हेतु विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में (वर्ष 2021–22*) को प्रभावशील खनिज रियायतों की स्थिति निम्नानुसार है –

अ. प्रधान खनिज – 174 खनन पट्टे

ब. अप्रधान खनिज – 15280 खनन पट्टे

स. क्वारी लाईसेन्स – 17577

* दिसम्बर 2021 तक

विगत वर्षों में धारित खनन पट्टों एवं क्वारी लाईसेंस का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	खनन पट्टें (प्रधान+अप्रधान)	क्वारी लाईसेंस	योग
2017–18	15434	17688	33122
2018–19	15120	17668	32788
2019–20	14613	17534	32147
2020–21	15386	17652	33038
2021–22 (31 दिसम्बर 2021)	15454	17577	33031

रॉयल्टी वसूली ठेके :– राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की हानि नहीं हो, इस हेतु विभाग द्वारा राज्य में रॉयल्टी वसूली के ठेके दिये जाते हैं, जिससे रॉयल्टी चोरी में कमी होकर खनिज राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अप्रधान खनिजों के अधिशुल्क वसूली ठेके (RCC) एवं अधिक अधिशुल्क वसूली (ERCC) के ठेकों का आवंटन ई–ऑक्शन द्वारा किया जा रहा है। जनवरी–2021 से दिसम्बर–2021 तक कुल 68 ठेके ई–ऑक्शन से आवंटित किये जा चुके है तथा 71 ठेके ई–नीलामी में चल रहे है।

NMET :– NMET नियम, 2015 लागू होने के बाद अब तक (दिसम्बर, 2021 तक) कुल राशि रू. 401.63 करोड की प्राप्त हुई। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) की राशि के द्वारा मिनरल एक्सप्लोरेशन कोर्पोरेशन लिमि0 के माध्यम से राज्य में प्रधान खनिज लाइमस्टोन एवं मेग्नेसाईट की 2 परियोजनाओं में विस्तृत रूप से पूर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया जिनमे से एक की नीलामी प्रक्रियाधीन है एवं दूसरा ब्लॉक नीलामी हेतु तैयार किया जा रहा है। खनिज बेसमेटल से सम्बन्धित दो परियोजनाओं (ऑपरेशन अनकवर एवं ऐरियल सर्वे से सम्बन्धित) के कार्य प्रक्रियाधीन है।

RSMET :– खनिज अन्वेषण को गति देने हेतु आर.एस.एम.ई.टी (राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन) का गठन किया जाकर अप्रधान खनिजों की रॉयल्टी का 2 प्रतिशत राशि का इसमें समावेश किया जा रहा है । दिसम्बर–2021 तक कुल राशि रू. 37.71 करोड एकत्रित हुई है ।

DMFT :– खनन प्रभावित क्षैत्र एवं खनन से प्रभावित लोगों के विकास हेतु खान धारकों को रॉयल्टी के अनुपात में अंशदान जमा करवाने हेतु डी.एम.एफ.टी. रूल्स 2016 बनाये गये थे जिसके तहत अब वर्ष 2015–16 से अब तक (नवम्बर,2021) राशि रूपये 5717.88 करोड़ प्राप्त हुये है जिसमें से राशि रूपये 2635.43 करोड़ व्यय की गयी है।

M-SAND POLICY-2020 :- माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा राज्य के नदी नालों में खनिज बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात् राज्य में खनिज बजरी की मॉग एवं आपूर्ति में अन्तर को कम करने के लिए खनिज बजरी (रिवर सेण्ड) के विकल्प के तौर पर एम–सेण्ड नीति, 2020 शासन की अधिसूचना दिनांक 25.01.2021 से जारी की गई। एम–सेण्ड ईकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है । ईकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत परिलाभ देय है। नीति के तहत राज्य के सरकारी निर्माण कार्यो में उपयोग में आने वाली बजरी की मात्रा का न्यूनत्तम 25 प्रतिशत एम–सेण्ड का उपयोग अनिवार्य किया गया है। खनन क्षैत्र में उपलब्ध ऑवरबर्डन से एम–सेण्ड निर्माण पर देय डी. एम.एफ.टी. की राशि में शत–प्रतिशत छूट, खनन क्षैत्रों में राजकीय भूमि पर एकत्रित ऑवरबर्डन के 10 वर्ष की अवधि के परमिट नीलामी से आवंटन करने के प्रावधान किये गये है। निम्नलिखित विभागों द्वारा राजकीय निर्माण कार्यो में उपयोग ली जाने वाली बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25 प्रतिशत एम.सेण्ड का उपयोग अनिवार्य करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है–
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

नगरीय विकास विभाग।
राजस्थान स्टेट रोड एण्ड कन्स्ट्रक्शन कोर्पोरेशन लि0।
राजस्थान को–ओपरेटीव डेयरी फेडरेशन लि0।
उद्योग विभाग।
एम–सेण्ड को प्रोत्साहन देने के लिए शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2022 के द्वारा नियम–74 में डम्प्स से ऑवरबर्डन निर्गमन को खनन की परिभाषा से मुक्त किया गया है । जिससे ऑवरबर्डन निर्गमन हेतु अलग से ई0सी0 की आवश्यकता नहीं होगी ।

जिप्सम परमिट

राज्य सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये 28 अक्टूबर, 2016 को खनिज जिप्सम के खनन हेतु MMCR में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत निजी खातेदारी भूमि में खातेदारों को भूमि सुधार हेतु सतह से दो मीटर गहराई तक एक STP के जरिये जिप्सम हटाने की अनुमति देने के प्रावधान किये गये है जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। RMMCR, 2017 में भी खनिज जिप्सम के परमिट देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु कुल 1729 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, जिनमें से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 1288 में अनुशंषा की गई जिसके अनुसार 553 जिप्सम परमिट जारी किये जा चुके हैं। 95 में मंशा पत्र जारी किये गये है,जिनमें आवंटन की प्रकिया जारी है।

ब. भू विज्ञान इकाई

भूविज्ञान शाखा द्वारा राज्य में खनिजों की खोज एवं खनिज भण्ड़ारों के आंकलन का कार्य किया जाता है। जो निम्नानुसार हैः–

- वर्ष 2021–22 में खनिज सर्वेक्षण की 46 परियोजनाये खनिज लाईमस्टोन, बेसमेटल, औधोगिक खनिज एवं आयामी पत्थर आदि के लिये राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है। उक्त कार्य की माह दिसम्बर, 21 तक प्रगति निम्नानुसार हैः–

भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियांः–

क्र.स.	कार्य	इकाई लक्ष्य	कार्य लक्ष्य वर्ष 2021–22	दिसम्बर, 21 तक की उपलब्धियां
1	क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण	वर्ग कि.मी.	950.00	725.00
2	क्षेत्रीय मानचित्रीकरण	वर्ग कि.मी.	429.00	301.00
3	विस्तृत मानचित्रीकरण	वर्ग कि.मी.	84.00	58.35
4	भूभौतिकीय सर्वेक्षण	लाईन कि.मी.	30.00	21.00
5	छिद्रण	मीटर	9300	1920.5

खनिज खोज की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है (वर्ष 2020–21)ः–

- जिला अजमेर, तहसील ब्यावर, निकट ग्राम कानाखेडा मे कुल 224 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। छिद्रित बोरहोल्स मे लाइमस्टोन बारिक से मध्यम कण का, हल्के ग्रे से गहरे धूसर रंग एवं सफेद रंग मे पाया गया।
- जिला अजमेर, तहसील ब्यावर, निकट ग्राम जीवाणा मे हल्के से गहरे धूसर रंग का, ग्रेनाइट मध्यम से लघु कण का ब्लॉकेबल ग्रेनाइट एवं निकट ग्राम अमरपुरा में गुलाबी रंग का लघु से मध्यम कण का ब्लॉकेबल ग्रेनाइट चिन्हित किया गया। इसके अलावा निकट ग्राम नयागांव तहसील केकडी मे नये ग्रेनाइट का क्षेत्र खोज कर चिन्हीकरण का कार्य प्रगति पर है।
- जिला कोटा, तहसील रामगंजमण्ड़ी, निकट ग्राम निमाना–दुनिया में कुल 320 मीटर छिद्रण कार्य कर 158.44 मिलियन टन मार्जिनल सीमेन्टग्रेड़ लाईमस्टोन के भूवैज्ञानिक संसाधनों का अनुमान लगाया गया।
- जिला एवं तहसील सिरोही, निकट ग्राम मोहब्बत नगर के 0.70 वर्ग किमी क्षेत्रफल मे लगभग 20–150 मीटर लंबाई एवं 40–100 मीटर चौडाई के सिस्ट, फिलाइट एवं क्वार्टजाइट चिन्हित किये गये। जिनका उपयोग मेसेनरी स्टोन के रूप मे लिया जा सकता है।
- जिला उदयपुर, तहसील वल्लभनगर, निकट ग्राम हरियाव मे कुल 303 मीटर छिद्रण किया गया। क्षैत्र में छिद्रण उपरान्त सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन पाया गया।
- जिला जैसलमेर, तहसील सम, निकट ग्राम डाडावाला की गोल मे कुल 371 मीटर छिद्रण कार्य किया गया। एवं क्षैत्र मे चॉकी लाइमस्टोन पाया गया है।
- जिला जालौर, तहसील रानीवाडा, निकट ग्राम छारपतिया–सिलासन मे लगभग 350–400 मीटर लम्बाई x 300–400 मीटर चौडाई मे मध्यम कण का धूसर से पीले रंग का ग्रेनाइट चिन्हित किया गया।

- जिला नागौर, तहसील खीवंसर, निकट ग्राम ताडास एवं खोरवा में कुल 496 मीटर छिद्रण कार्य किया गया एवं सीमेन्ट ग्रेड लाईमस्टोन पाया गया।
- जिला नागौर, तहसील जायल, निकट ग्राम आवड एवं खेडा, में कुल 596 मीटर छिद्रण कार्य किया गया एवं सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन पाया गया।
- जिला करौली, तहसील सपोटरा, निकट ग्राम मुंगेपुरा मे लगभग 900 मीटर लम्बाई X 300–400 मीटर चौडाई मे भंगुर प्रकृति के मेसनरी स्टोन तथा सिलिका सेंड के 2–3 बेड चिन्हित किये गये।
- जिला भीलवाडा, तहसील आसींद, निकट ग्राम कातर, मे 0.10 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मे ग्रेनाइट के प्लॉट चिन्हित किये गये।
- जिला बांसवाडा, तहसील गढी, निकट ग्राम परथीपुरा मे कुल 174.50 मीटर छिद्रण कार्य किया गया जिसमें हल्के सफेद से धूसर रंग का क्रिस्टेलाइन लाईमस्टोन पाया गया है।
- जिला पाली, तहसील सोजत, निकट ग्राम खरियानींव मे लगभग 130–280 मीटर लम्बाई X 100–180 मीटर चौडाई मे लाइमस्टोन चिन्हित किया गया।
- जिला चित्तौडगढ, तहसील भदेसर, निकट ग्राम गरडाना में 0.25 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मे क्वार्टजाइट चिन्हित किया गया।
- जिला धोलपुर, तहसील बडी, निकट ग्राम बासई में 6 वर्ग किमी. क्षेत्रफल मे चॉकलेटी भूरा एवं पीले रंग के लाइमस्टोन के विभिन्न आउटक्रोप्स का मानचित्रिकरण किया गया।

<u>खनिज खोज की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है (वर्ष 2021–22 दिसम्बर 2021 तक)</u>:–

- जिला अजमेर, तहसील ब्यावर, निकट ग्राम कानाखेडा में कुल 45 मीटर छिद्रण कार्य किया गया जिसमे बारिक से मध्यम कण का हल्के से गहरे धूसर रंग का लाइमस्टोन पाया गया।
- जिला नागौर, तहसील खीवंसर, निकट ग्राम ताडास एवं खोरवा में कुल 32.25 मीटर मोटाई का धूसर रंग का लाईमस्टोन पाया गया।
- जिला नागौर, तहसील जायल, निकट ग्राम अवध एवं खेडा में छिद्रण कार्य उपरान्त कुल 19.11 मीटर मोटाई का धूसर रंग का लाईमस्टोन पाया गया।
- जिला पाली, तहसील सोजत, निकट ग्राम जेतीवास में 2 वर्ग कि.मी क्षेत्र में धूसर रंग का बारिक कण का लाईमस्टोन लगभग 400–680 X 228–470 मी. (लम्बाई X चौड़ाई) में चिन्हित किया गया।
- जिला जालोर, तहसील रानीवाडा, निकट ग्राम रानीवाडा खुर्द मे 2 वर्ग कि.मी क्षेत्र में लगभग 500 X 300–350 मीटर (लम्बाई X चौड़ाई) में मध्यम कण का हल्के गुलाबी से क्रीम रंग का ब्लॉकेबल ग्रेनाइट चिन्हित किया गया।
- जिला एवं तहसील जैसलमेर, निकट ग्राम मांगलियावास में छिद्रण उपरान्त हार्ड कॉम्पेक्ट एवं चॉकी लाईमस्टोन पाया गया।
- जिला कोटा, तहसील रामगंजमण्ड़ी, निकट ग्राम निमाना–दुनिया में छिद्रण उपरान्त 14 मीटर मोटाई का लाइमस्टोन पाया गया है।
- जिला बांरा, तहसील शाहबाद, निकट ग्राम ओगड–मजोला में 2.41 मीटर से 10.67 मीटर मोटाई का सफेद, क्रीम से लाल रंग का मुलायम प्रकृति का लाईमस्टोन पाया गया।
- जिला बाडमेर, तहसील सिणधरी, निकट ग्राम बामडी नाडी मे 1 वर्ग कि.मी. क्षेत्र चिन्हित किया गया साथ ही 12 प्लॉट सिलिका सेंड के तहसील शिव नि.ग्रा कोटडा, हाथीसिंह का गांव मे एवं 13 प्लॉट मेसनरी स्टॉन के तहसील बाडमेर निकट ग्राम डारूडा मे चिन्हित किये गये।
- जिला सिरोही, तहसील रेवदर, निकट ग्राम नागनी में 1 वर्ग कि.मी. क्षैत्र में स्कार्न रॉक लगभग 50–70 X 30-50 मी. (लम्बाई X चौड़ाई) में चिन्हित की गयी।

- जिला भीलवाडा, तहसील आसीन्द, निकट ग्राम दौलतगढ में 1 वर्ग कि.मी. क्षैत्र में खनिज ग्रेनाईट चिन्हित किया गया।

विगत वर्षों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं अर्जित उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	कार्य	इकाई	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22*	
			कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां	कार्य लक्ष्य	उपलब्धियां
1	क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण	वर्ग कि.मी.	4200	3587	-	-	300	300	1200	1200	950.0	725.00
2	क्षेत्रीय मानचित्री–करण	वर्ग कि.मी.	430	355	498	487.06	336	343.23	399.0	404.37	429.0	301.00
3	विस्तृत मानचित्री–करण	वर्ग कि.मी.	83	70.65	102.50	102.40	82	84.85	95.00	96.41	84.00	58.35
4	भूभौतिकीय सर्वेक्षण	लाईन कि.मी.	120	120.44	60.00	63.41	70.00	71.00	60.00	61.00	30.00	21.00
5	छिद्रण	मीटर	13400	2714.5	20100	2521.5	8900	2815.50	3900	2484.50	9300	1920.5

* माह दिसम्बर 2021 तक

राज्य में विभाग द्वारा प्रधान खनिजों के ब्लॉक के नीलामी का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

नीलाम किये गये ब्लॉक्स का विवरण निम्न है:–

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	खनिज	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	नीलामी की तिथी	उच्चतम बोलीदाता
1	नागौर 3 बी 1 (बी) डेह	लाईमस्टोन	2.47	22–09–2016	60.09 % मैसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड
2	सिंदवाड़ी.–रामाखेड़ा –सतखण्डा ब्लॉक बी	लाईमस्टोन	4.74	5–01–2017	48.05 % मैसर्स डालमिया (भारत) सीमेंट लिमिटेड
3	नागौर 3 बी 1 (ए) डेह	लाईमस्टोन	2.67	6–01–2017	67.94 % मैसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड
4	नागौर 3 डी 1 निकट ग्राम हरीमा–पिथासर, जिला नागौर	लाईमस्टोन	3.57	17–07–2018 (माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन परन्तु स्थगन आदेश प्राप्त नहीं)	50.05 % जे.एस.जब्ल्यू सीमेन्ट लिमिटेड
5	नागौर 3 बी 2 निकट ग्राम सरसनी, जिला नागौर	लाईमस्टोन	4.70	05–02–2018	60.10 % जे.एस.डब्ल्यू सीमेन्ट लिमिटेड
6	पारेवार बी ब्लॉक, जिला जैसलमेर	लाईमस्टोन	5.15	10–12–2020	15.40 % मै0 वन्डर सीमेन्ट लि0
7	खिंया–ाा ए ब्लॉक, जिला जैसलमेर	लाईमस्टोन	3.04	15–02–2021	15.45 % मै0 जे0के0सीमेन्ट लि0
8	4 जी–ाा ए ब्लॉक, जिला नागौर	लाईमस्टोन	4.23	16–02–2021	26.67 % मै0 हंसदीप इण्ड0 एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लि0
9	राता मांधा–1 ए ब्लॉक, जिला जैसलमेर	लाईमस्टोन	4.20	16–12–2021	15.25 % मै0 डेकन सीमेन्ट्स लि0
10	3 डी–2 ब्लॉक, जिला नागौर	लाईमस्टोन	4.34	17–12–2021	37.00 % मै0 अम्बुजा सीमेन्ट्स लि0

राज्य में विभाग की आगामी नीलामी में खनिज लाईमस्टोन, कॉपर एवं आयरनओर के ब्लॉक सम्मिलित किये जायेगे।

भूविज्ञान की सहयोगी इकाईयों/अनुभागों एवं प्रयोगशालाओं की प्रगति

मानचित्र अनुभाग : मानचित्र अनुभाग में भू–गर्भ से संबंधित नक्शों एवं टोपोशीट्स का संधारण किया जाता है। मानचित्रों का भौतिक सत्यापन एवं मानचित्रों का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष कराया जाता है। मानचित्र शाखा में सभी प्रकार के मानचित्रों को सूचीबद्व करने, रेखा चित्र बनाने एवं अनुरेख तैयार करने संबंधी कार्य भी सम्पादित किये जाते है। प्रधान एवं अप्रधान शाखा से प्राप्त पत्रावलियों की जॉच की जाती है, तथा कम्पोजिट नक्शों को तैयार किया जाता है। खनिज रियायत योजनाओं की जॉच एवं नक्शा मानचित्र अनुभाग को संदर्भित किया जाता है। राजस्व, कन्टूरिंग एवं भू–वैज्ञानिक नक्शों का डिजिटाईजेशन किया जाता है ।

प्रयोगशाला : विभाग की सिरेमिक एवं रसायनिक प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2021 (दिसम्बर, 2021 तक) में विभाग के विभिन्न कार्यालयों के प्राप्त 1783 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

राज्य में अनुदान हेतु उपलब्ध क्षेत्र :

राज्य में आगामी वर्षो में खननपट्टे हेतु खनिज लाईमस्टोन के ब्लॉक जिला जैसलमेर, कोटा एवं चित्तोडगढ में, कॉपर के ब्लॉक जिला अलवर व सिरोही में, मैग्नेसाईट का ब्लॉक जिला उदयपुर व आयरन ओर का ब्लॉक जिला सीकर में नीलामी हेतु तैयार किये जा रहे है। उपरोक्त के अतिरिक्त कम्पोजिट लाईसेन्स हेतु खनिज मैग्नीज के ब्लॉक्स व लाईमस्टोन का ब्लॉक जिला बॉसवाडा में एवं आयरन ओर के ब्लॉक्स् व गारनेट का ब्लॉक जिला भीलवाडा में भी नीलामी हेतु तैयार किये जा रहे है।

इसके अलावा वर्ष 2021–22 (दिसम्बर–2021 तक) में अप्रधान खनिज के 172 खनन पट्टों का सफल ई–ऑक्शन किया जाकर राशि रूपये 128.14 करोड़ प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो चुके है । दिनांक 24.12..2021 को 560 अप्रधान खनिजो के खनन प्लोटों की ई–नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी है जिसमें नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विषयांकित खनन प्लॉट जो कि मुख्यतः खनिज सेण्डस्टोन, मार्बल, मेसेनरीस्टोन, क्वार्टज, फेल्सपार व ग्रेनाईट के है जिनकी ई–नीलामी से राज्य के राजस्व में वृद्वि होगी व व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होगा ।

विभागीय आयोजना मद :

विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में आयोजना मद अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु राशि रू0 2870.26 लाख का आवंटन किया गया जिसमें से 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल राशि रू0 1901.75 लाख व्यय की गई है ।

विभागीय लेखा संबंधित सूचना

वर्ष 2021–22 में राज्य निधि प्रतिबद्ध में दिसम्बर, 2021 तक वास्तविक व्यय 9881.62 लाख रूपये हुआ । विभागीय स्कीम मद में दिसम्बर, 2021 तक रू. 1901.75 लाख व्यय हुआ । जिसका विवरण **तालिका संख्या 1** (परिशिष्ट 1) में दर्शाया गया है ।

विकास एवं जन कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यः

खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों में खनन जनित सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना सदा रहती हैं। अतः ऐसी बीमारी से ग्रसित श्रमिक एवं मृतक श्रमिकों के आश्रितों को डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत राशि प्रदान की जाती हैं । राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सिलिकोसिस नीति–2019 के अन्तर्गत प्रमाणिकरण के आधार पर पीडित श्रमिक को रूपया 3.00 लाख एवं मृतक के आश्रित/विधिक उत्तराधिकारी को रूपया 2.00 लाख संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान में सिलिकोसिस/एसबेसटोसिस से पीडित/मृतक विधिक उत्तराधिकारी को तत्काल आर्थिक सहायता

प्रदान करने के संबंध में जिला कलेक्टरों को डी.एम.एफ.टी. के तहत राशि का आवंटन वित्त विभाग के निर्देशानुसार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितो को उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

पीडितों की संख्या	पीडितों को उपलब्ध कराई गई राशि (करोड में)	मृतकों की संख्या	मृतक आश्रितों को उपलब्ध कराई गई राशि (करोड में)	कुल पीडितों एवं मृतकों की संख्या	कुल उपलब्ध कराई गई राशि (करोड में)
2154	56.59	897	18.39	3051	74.98

विभागीय कम्प्यूटराईजेशन :

- विभाग में प्रधान एवं अप्रधान से संबंधित समस्त खनिज निर्गमन को ई–रवन्ना के माध्यम से दिनांक 10.10.2017 से ऑनलाईन कर दिया गया है तथा मेनुअल रवन्ना जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।
- वे–ब्रिजरहित खनन पट्टाधारियों के खनिज की तुलाई हेतु निजी तुलाधारकों को एम्पेनल किया गया है एवं खनन पट्टाधारियों हेतु ई–रवन्ना जारी करने के लिये मोबाईल एप्प भी उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें वे–ब्रिज रहित खनन पट्टाधारियों द्वारा जरिये मोबाईल अथवा कम्प्यूटर अनकन्फर्म रवन्ना जनरेट की जाती है जिसे एम्पेनल्ड तुलाधारकों द्वारा तुलाई के दौरान अनकन्फर्म रवन्ना के सन्दर्भ में रवन्ना कन्फर्म की जाती है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 95 लाख ई–रवन्ना जनरेट होते है।
- खनिज वाहनों की तुलाई हेतु दिनांक 30.12.2021 तक सम्पूर्ण राज्य में 3580 तुलायंत्र ऑनलाईन एम्पेनल्ड किये गये। तुलायंत्रों पर दो केमरे के माध्यम से फोटोयुक्त (वाहन मय खनिज) ई–रवन्ना कन्फर्म की जा रही है जिससे राजस्व अपवंचन पर अंकुश लगा है।
- इसी क्रम में दिनांक 01.02.2018 से ई–रवन्ना की तरह ही क्रशर, ग्राइंडिंग ईकाइयों तथा डिलर्स को भी विभागीय ऑनलाईन सिस्टम से जोडते हुए ई–ट्रांजिट पास की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख ई–ट्रांजिट पास जारी किये जा रहे है।
- विभिन्न प्रकार के आवेदन यथा खातेदारी भूमि पर खननपट्टा आवेदन को भी ऑनलाईन लिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा विभाग द्वारा कृषि भूमि सुधार हेतु जिप्सम परमिट, क्वारी लाईसेन्स, खनिज समावेशन, खनन पटटा हस्तान्तरण, STP/Brick-earth परमिट इत्यादि के आवेदनों को भी ऑनलाईन लिया जा रहा है।
- विभागीय स्टेक–होल्डर्स द्वारा जमा कराये जाने वाले विभिन्न शुल्क जैसे डेडरेन्ट, रॉयल्टी, पैनल्टी, आवेदन शुल्क, डीएमएफटी इत्यादि के जमा हेतु निम्न सुविधाऍ उपलब्ध कराई गई हैः–
  1. विभागीय वेबसाईट पर स्वयं के लॉग–ईन (Login) के माध्यम से ।
  2. ई–ग्रास के माध्यम से ।
  3. राशि रू0 50,000/–तक राज्य के किसी भी ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से ।
- विभाग द्वारा दिनांक 15.12.2018 से ऑन लाईन अपील दर्ज करने का प्रावधान किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत **Cause list** एवं **Current Case Status** भी ऑन लाईन प्राप्त किया जा सकता है।

- माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के बजट घोषणा के 2019–20 के क्रम में खान विभाग के सॉफ्टवेयर को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से एकीकृत कर दिनांक 01.01.2020 से लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत विभागीय ऑन लाईन सिस्टम के ई–रवन्ना/ई–टी.पी. जनरेशन में वाहन संबंधित समस्त विवरण जैसे खाली गाडी का वजन **(ULW)** इत्यादि सीधे ही परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से लिया जा रहा है एवं ऑवर लोडिंग परिवहन संबंधित वाहनों की सूचना अविलम्ब जरिये **SMS** /रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है।
- दिनांक 01.01.2020 से विभागीय स्टेक–हॉल्डर्स हेतु डी.एम.एफ.टी. राशि को ऑन लाईन जमा कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- लीज धारकों द्वारा प्रस्तुत करने वाले मासिक/वार्षिक रिटर्न को भी ऑन लाईन किया गया है।
- दिनांक 01.07.2021 से आर.एस.एम.ई.टी. भुगतान की सुविधा भी ऑनलाईन की गई है ।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार किये गये पार्टल के माध्यम से आर.टी.आई. के आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया को ऑन लाईन किया गया ।

परिशिष्ट 1

तालिका संख्या–1

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक व्यय की गई राशि का विवरण		
		अंक लाख रूपयो में
बजट मद	**प्रतिबद्व**	**स्कीम**
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
2853–अलौह खनन तथा धातु कर्मउद्योग		
02–खानों का विनियमन तथा विकास		
001–निदेशन तथा प्रशासन		
(06)–योजनाओ के अतिरिक्त व्यय		
[01]–खान एवं भूविज्ञान विभाग–प्रधान कार्यालय–प्रतिबद्व	1465.59	
[02]– खान एवं भूविज्ञान विभाग–जिला एवं अधिनस्थ कार्यालय –प्रतिबद्व	8381.99	
(07)–खनिज सघन पूर्वेक्षण,सर्वेक्ष्ण एवं मानचित्रण योजना		
[01]– खान एवं भूविज्ञान विभाग–प्रधान कार्यालय–प्रतिबद्व		94.64
[02]– खान एवं भूविज्ञान विभाग–जिला एवं अधिनस्थ कार्यालय –प्रतिबद्व		1274.73
2853–02–789–02–00 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		288.77
2853–02–789–03–[01]		0.00
2853–02–796–04–00–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना		243.61
योग–2853	**9847.58**	**1901.75**
797–(01)–[01] लेखा मद 8229–200–(07)–माईनिंग क्षैत्र में पर्यावरण सुधार–प्रतिबद्व		
82–निधि को अन्तरण	0.00	
मद 797–(03) [01]–लेखा मद 8229–200–(09)–खनन क्षैत्रो में पर्यावरण प्रबन्धन निधि में संचालित योजना		
82–निधि को अन्तरण	0.00	
लघु शीर्ष 797 योग	0.00	
2853–02–800–(01)–[02]		0.00
2853–02–800–(01)–[10]		0.00
2853–02–800–(04)–[01]		0.00
लघु शीर्ष 800 योग		
902–घटाइये–(01) लेखा मद 2853–02–800–(01) में किये गये व्यय का माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि के बजट शीर्ष 8229–200–(07)–से प्रतिपूर्ति		
83–निधि से अन्तरण		0.00
मांग संख्या–51		
(03)लेखा मद 8229–200–(07) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि से प्रतिपूर्ति(अनुसूचित जनजाति)		
83–निधि से अन्तरण		0.00
मांग संख्या–43		
(06)खनन क्षेत्रो में पर्यावरण प्रबंधन निधि से संचालित योजनाएँ [01]–बजट शीर्ष 2853–02–800–(04) में किये गये व्यय का खनन क्षेत्र में पर्यावरण प्रबन्धन निधि के बजट शीर्ष 8229–200–(09)–से प्रतिपूर्ति		
83–निधि से अन्तरण		0.00

लघु शीर्ष 2853– 902 योग	0.00	0.00
2059–लो.नि.कार्य पर	34.04	
योग– 2059 व 3604	34.04	0.00
बजट मद	प्रतिबद्व	स्कीम
	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
Captial		
मांग संख्याः 43 खनिज		
4853–01–004–07–01–74		0.00
4853–01–004–07–02–17		0.00
4853–01–004–07–02–18		0.00
4853–01–004–07–03–16		0.00
4853–01–004–07–03–17		0.00
4853–01–004–07–03–63		0.00
4853–01–004–07–04–18		0.00
4853–01–004–07–04–62		0.00
मांग संख्या–43 योग–	0.00	0.00
मांग संख्या–51		
4853–01–789–02–01–74		0.00
4853–01–789–02–02–17		0.00
4853–01–789–02–02–18		0.00
मांग संख्या–51 योग–	0.00	0.00
मांग संख्या–30		
4853–01–796–03–00–17		0.00
4853–01–796–04–01–74		0.00
4853–01–796–04–02–17		0.00
4853–01–796–04–02–18		0.00
मांग संख्या–30 योग–		0.00
कुल योगः– 4853		
मांग संख्या–30	0.00	
902–घटाईये		
(01)लेखा मद 8229–200–(07)माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (जनजाति क्षेत्र)		
83–निधि से अन्तरण	0.00	0.00
मांग संख्या–43		
(02)लेखा मद 8229–200–(07)माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति		
83–निधि से अन्तरण	0.00	0.00
मांग संख्या–51		
(03)लेखा मद 8229–200–(07)माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (अनुसूचित जाति क्षैत्र)		
83–निधि से अन्तरण	0.00	0.00
लघु शीर्ष 4853–902 योग	0.00	0.00
महायोग लघु शीर्ष 2853 व 4853–902	**9881.62**	**1901.75**

परिशिष्ट 2

तालिका संख्या – 2

डी.एम.एफ.टी. की जमा राशि का विवरण (30.11.2021 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	DMFT की कुल जमा राशि	कार्य जिनकी वित्तिय स्वीकृति जारी हो चुकी		वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि (लाखों में)	
1	राजसमंद	129223.66	2558	122363.42	70654.06
2	उदयपुर	61395.86	1534	28816.33	22018.83
3	डुंगरपुर	989.23	35	591.12	591.12
4	बांसवाडा	3120.71	234	2318.22	1434.44
5	प्रतापगढ	493.17	12	134.56	112.42
6	कोटा	7566.44	223	3013.68	2785.93
7	बून्दी	2943.14	204	2184.75	1529.59
8	झालावाड	1452.09	68	624.57	624.57
9	बांरा	261.97	18	41.42	30.37
10	बीकानेर	5289.66	2617	2584.13	1095.23
11	चुरू	954.25	39	411.91	301.16
12	श्रीगंगानगर	1042.23	70	786.64	412.17
13	हनुमानगढ	1182.54	89	1044.85	897.51
14	जैसलमेर	5553.98	59	1289.95	1289.95
15	अजमेर	33927.25	1367	24190.51	16394.04
16	नागौर	8511.91	125	5289.77	5197.91
17	भीलवाडा	171850.55	3067	99599.01	70767.24
18	चितौडगढ	39913.44	1473	27447.22	17087.94
19	जयपुर	9672.06	269	4459.84	4080.70
20	सीकर	1568.96	204	1211.52	767.64
21	अलवर	3301.97	46	728.20	550.24
22	दौसा	615.96	15	118.33	41.28
23	झुंझुनु	5021.15	137	3958.03	2412.99
24	टोंक	935.37	9	604.91	339.22
25	जोधपुर	5588.97	5	4022.30	4010.50
26	पाली	31878.99	348	26961.24	15791.31
27	सिरोही	17206.80	72	11188.49	10274.09
28	बाडमेर	12852.43	1137	12156.26	6925.96
29	जालोर	1203.90	8	101.90	94.60
30	भरतपुर	3890.60	1491	3640.59	3168.44
31	धोलपुर	981.09	28	920.58	918.58
32	करौली	869.22	2	622.12	622.12
33	सवाईमाधोपुर	529.29	125	328.45	321.24
योग		**571788.84**	**17688**	**393754.82**	**263543.38**

परिशिष्ट 3

तालिका संख्या – 3(अ)

खान एवं भूविज्ञान विभाग में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों की संख्या
(दिनांक 31.12.2021 की स्थिति)

अ. राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा के अधिकारी :

क्र. सं.	पद का नाम	राजस्थान राज्य सेवा की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	निदेशक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक (खान)	राजस्थान तकनिकी सेवा	7	6	1
3.	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान)	.... „	6	6	0
4.	अधीक्षण खनि अभियन्ता	.... „	21	19	2
5.	अधीक्षण भूवैज्ञानिक	.... „	15	13	2
6.	अधीक्षण भूभौतिकवेता	.... „	1	0	1
7.	अ. अभियन्ता (यां. एवं छिद्रण)	.... „	2	2	0
8.	यांत्रिक अभियन्ता	.... „	1	0	1
9.	खनि अभियन्ता	.... „	47	44	3
10.	व. भूवैज्ञानिक (पेट्रोलाजिस्ट व खनिज अर्थशास्त्री सहित)	.... „	26	16	10
11.	भूभौतिकवेता	.... „	1	1	0
12.	केमिकल एवं सिरेमिक अभियन्ता	.... „	1	1	0
13.	वरिष्ठ रसायनज्ञ	.... „	2	2	0
14.	उप छिद्रण अभियन्ता	.... „	2	2	0
15.	सहायक खनि अभियन्ता	.... „	70	38	32
16.	भूवैज्ञानिक	.... „	63	35	28
17.	रसायनज्ञ	.... „	5	1	4
18.	कनिष्ठ भूभौतिकवेता	.... „	2	0	2
19.	सहायक छिद्रण अभियन्ता	.... „	8	5	3
20.	व0रसायनिक अभियन्ता	.... „	1	1	0
योग			**282**	**193**	**89**

ब. अन्य सेवा के अधिकारी

तालिका संख्या – 3(ब)

क्र.सं.	पद का नाम	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की श्रेणी	पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा, राजपत्रित सेवा	1	1	0
2.	वित्तीय सलाहकार	राज. लेखा सेवा	1	1	0
3.	लेखाधिकारी	राज. लेखा सेवा	2	1	1
4.	सहायक लेखाधिकारी	राज. अधिनस्थ सेवा, लेखा सेवा	5	2	3
5.	संस्थापन अधिकारी	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा, राजपत्रित सेवा	2	0	2
6.	प्रशासनिक अधिकारी	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा, राजपत्रित सेवा	7	0	7
7.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	राजस्थान सांख्यिकी सेवा	1	1	0
8.	उप विधि परामर्शी	विधि संवर्ग	1	1	0
9.	सहायक विधि परामर्शी	विधि संवर्ग	1	1	0
10.	वरिष्ठ विधि सहायक	विधि संवर्ग	1	0	1
11.	एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	0	1
12.	अतिरिक्त निजी सचिव	राजस्थान मंत्रालयिक सेवा	1	1	0
योग			**24**	**9**	**15**
विभाग के सभी सेवाओं के अधिकारियों की संख्या (अ+ब)			**306**	**202**	**104**

तालिका संख्या – 3(स)

स. विभिन्न सेवाओं में स्वीकृत कर्मचारियों की सूचना

(दिनांक 31.12.2021 की स्थिति)

क्र. सं.	संवर्ग	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त	सीधी भर्ती के रिक्त पद	पदोन्नति के रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग	306	202	104	44	60
2.	अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग	772	440	332	225	107
3.	मंत्रालयिक संवर्ग	865	624	241	71	170
4.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	292	168	124	109	15
योग		**2235**	**1434**	**801**	**449**	**352**

परिशिष्ट 4

तालिका संख्या – 4

प्रधान खनिजों की सांख्यिकी सूचना (वर्ष 2020–21)

Mineral	Lease Count	Dispatch (M.T)	Revenue (in Lac. Rs)	Employment
Beryl	4	0.00	0.00	0
Bauxite	1	0.00	1.00	1
Epidote	1	0.00	0.10	0
Emerald Crude	1	0.00	1.85	0
Copper Ore	3	991991.00	1802.64	1760
Iron ore	15	4247762.99	5115.95	993
Lead Zinc	3	4974739.00	98809.16	3802
Lead	4	758056.96	66934.08	24110
Zinc	0	412878.37	17760.56	0
Silver	0	120.36	22674.98	0
Manganese	1	6940.00	7.60	70
Fluorite	6	0.00	18.68	0
Garnet (Abr.& Crude)	18	304.68	10.47	37
Lignite	7	9142563.20	9252.11	345
Kyanite	3	0.00	0.00	0
Limestone	45	74289465.32	68010.45	5034
Magnesite	2	0.00	0.00	0
Rock-Phosphate	2	809024.10	7326.90	965
Selenite	4	464.18	15.04	35
Siliceous Earth	39	23888.33	25.29	110
Vermiculite	3	0.00	0.55	0
Wollastonite	13	88683.70	112.49	211
GRAND TOTAL	**175**	**95746882.19**	**297879.90**	**37473**

परिशिष्ट 5

तालिका संख्या – 5

अप्रधान खनिजों की सांख्यिकी सूचना (वर्ष 2020–21)

Mineral	Leases Count	Dispatch (in MT)	Revenue (in Lac Rs.)	Employment
Ball Clay	155	4094522.00	2959.73	795
Barytes	2	3287.96	14.38	22
Bentonite	40	446075.20	304.02	280
Brick Earth	113	47235951.33	4371.09	12281
Calcite	34	19693.71	84.76	223
China clay	348	3604724.03	2807.23	3270
Chert	2	0.00	1.14	5
Chips Powder/Limestone	31	89031.57	178.32	180
Dolomite	10	117875.99	299.18	67
Felspar	1217	3818825.65	4143.02	6519
Fire Clay	3	0.00	0.90	0
Fuller's Earth/Kharia Mitti	15	28297.58	35.52	38
Jasper	0	0.00	0.00	0
Granite	1247	6561139.92	17279.42	9799
Gypsum	66	6788194.33	7766.75	2267
Kaolin	4	52307.40	62.93	101
Kankar-Bajri	285	8709581.03	4771.53	2689
Limestone (Burning)	444	12090520.92	11885.66	8808
Limestone (Dimnl.)	363	5153067.59	5471.23	5693
Marble	2165	16159347.18	21267.65	21143
Masonary Stone	5682	102046989.48	33764.81	55896
Mica	15	17719.08	18.17	65
Mill Stone	5	863.00	0.64	35
Mitti	12	26665109.86	1683.37	2538
Murram/Gravel/Gitti	27	1577539.00	291.60	879
Ochres	92	2807156.75	572.08	309
Phylite-shist/Patti Katla	50	2418741.70	551.74	497
Phyrophilite	7	19050.50	46.15	21
Quartzite	48	120079.39	78.18	57
Quartz	949	3037988.24	2741.59	14761
Rhyolite	172	1427190.16	611.78	659
Salt Petre	0	0.00	0.00	0
Sandstone	1054	22429409.39	17949.98	47233
Serpentine	236	710098.05	1875.53	1963
Silica Sand	117	1306802.49	1156.54	1038
Slate Stone	13	998.00	16.89	10
Soapstone	188	1590395.45	4530.68	2121
GRAND TOTAL	**15211**	**281148573.93**	**149594.22**	**202262**

रामपुरा अगुचा खान, भीलवाड़ा का विहंगम दृश्य

मोरवड मार्बल खदान का विहंगम दृश्य